

No.2/COL/LND/R.R.-1971/128/2019/ 1868
UT Administration of Daman & Diu
Office of the Collector,
Collectorate, Moti Daman.

Dated: 22/10/2019.

To,
The District Informatic Officer,
NIC, Secretariat,
Daman.


Sir,

I am enclosing herewith a Hindi version of Notification of the Dadra and Nagar Haveli Land Reform Regulation, 1971, to be extended to Union Territory of Daman and Diu.

You are requested to upload on the official website of Collectorate, Daman immediately.

Yours faithfully,

Encl: as above.


(Charmie Parekh)
Deputy Secretary, (Revenue),
Daman.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
राजस्व विभाग,
राजस्व सचिव का कार्यालय, दमण एवं दीव
मोटी दमण.

अधिसूचना

प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली; गोवा, दमण एवं दीव (प्रशासन) विनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दादरा एवं नगर हवेली भूमि सुधार विनियम, 1971, जो संघ प्रदेश दमण एवं दीव में भी विस्तारित है, में प्रस्तावित संशोधनों को एतद्वारा प्रकाशित करते हैं। यदि इस पर कोई आपत्ति/सुझाव हों, तो उसे संघ प्रदेश दमण एवं दीव के सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, सचिवालय, मोटी दमण-396220 को भेजा जा सकता है।

संशोधन

1. दादरा और नगर हवेली भूमि सुधार विनियम 1971 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पूरे विनियम में, केवल लघु शीर्षक को छोड़कर 'दादरा एवं नगर हवेली' शब्दों के बदले 'दमण एवं दीव' शब्द प्रतिस्थापित होंगे।
2. शीर्षक में, "भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, अनुभाग 1, में दिनांक 8 दिसम्बर, 1971 को प्रकाशित] भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय गणतंत्र के 22वें साल में प्रख्यापित" शब्दों को "संघ प्रदेश दमण एवं दीव तक में विस्तारित" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. प्रस्तावना में, "अलवारा और टेरेम टेनर्स को खत्म करने, अलवारा तथा टेरेम धारकों एवं उनके पट्टेधारकों को अधिभोग अधिकार प्रदान करने", "और वितरण", तथा "और भू-स्वामी एवं पट्टेदारों के बीच संबंधों को विनियमित करने" शब्द हटा दिए जाएंगे। "कृषियोग्य भूमि" शब्द के बाद "और" शब्द जोड़ा जाएगा।

4. धारा 1 की उप-धारा (1) में, “, संघ प्रदेश दमण एवं दीव में यथा विस्तारित” शब्द जोड़े जाएंगे ।
5. धारा 1 की उप-धारा (3) में “ऐसी तारीख को, जो केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकती है,
बशर्ते कि इस विनियम के अलग-अलग प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकती हैं तथा इस विनियम के प्रारंभ से संबंधित किसी भी ऐसे प्रावधान के किसी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में माना जाएगा” शब्दों को “तुरंत” से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
6. धारा 2 की उप-धारा (2) में, “कृषि” शब्द के बाद “और” शब्द को “भूमि” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
7. धारा 2 की उप-धारा (3) के खंड (बी) में, “परन्तु वन भूमि शामिल नहीं” शब्द को लोपित किया जाएगा ।
8. धारा 2 की उप-धारा (7), (8), (20), (30), (31) एवं (34) हटा दी जाएगी ।
9. धारा 2 की उप-धारा (9) में, “अगस्त, 1964 के 20वें दिन”, तथा “संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के लिए भूमि सुधार आयोग नियुक्त किया गया था” शब्दों को हटा दिया जाएगा । इसी उप-धारा में, “तात्पर्य कि” शब्द के बाद “अक्टूबर, 2019 के 19वें दिन” शब्द जोड़े जाएंगे तथा “इस विनियम के मसौदे को संघ प्रदेश दमण एवं दीव में विस्तारित करने के लिए प्रकाशित किया गया था” शब्दों को “जो” शब्द के बाद जोड़ा जाएगा ।
10. पूरे प्रधान विनियम में ‘celling’ शब्द ‘ceiling’ (अधिकतम सीमा) से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
11. धारा 2 की उप-धारा (14) में, “केन्द्रीय सरकार” शब्द “संघ प्रदेश दमण एवं दीव के प्रशासक” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

12. धारा 2 की उप-धारा (18) में, "lendlord" शब्द "landlord" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

13. धारा 2 की उप-धारा (19) में, "दादरा एवं नगर हवेली भूमि सुधार प्रशासन विनियम, 1971" शब्द "गोवा, दमण एवं दीव भूमि सुधार संहिता, 1968" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

14. धारा 2 की उप-धारा (22) के खंड (iii) में, 'case' शब्द 'cash' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं स्पष्टीकरण 3 में, 'broughter' शब्द 'brother' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

15. धारा 2 की उप-धारा (22) के खंड (iii) में 'women' शब्द 'woman' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

16. धारा 2 की उप-धारा (29) का खंड (ii) लोपित कर दिया जाएगा एवं खंड (iv) में, "किन्तु धारा 5 में सरकार द्वारा संदर्भित के अंतर्गत एक अलवारा होल्डर्स, एक टेरेम होल्डर्स एवं एक अस्थाई पट्टेदार शामिल नहीं" लोपित किया जाएगा ।

17. मुख्य विनियम में, अध्याय II संपूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा ।

18. धारा 7 की उप-धारा (ए) में, "भूमि, जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हो या जिसका उपयोग नहीं किया जाता हो" शब्द "भूमि, जिसे नियत तारीख के पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर-कृषियोग्य भूमि के रूप में घोषित किया गया हो" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

19. धारा 7 में उप-धारा (एफ) लोपित किया जाएगा ।

20. धारा 8 की उप-धारा (1) एवं उसके खंडों में, 'provisional', 'celling' एवं 'hectores' शब्द क्रमशः 'provision', 'ceiling' एवं 'hectares' शब्द से प्रतिस्थापित किए जाएंगे । खंड (i) में अंक "7.5", अंक "6.071" से प्रतिस्थापित होगा । खंड (ii) में अंक "11" अंक "8.91" से प्रतिस्थापित होगा । खंड (iii) में अंक "16" अंक "15" से प्रतिस्थापित होगा ।

21. धारा 8 की उप-धारा (2) में, 'falling under more' शब्द के बाद आया 'that' शब्द 'than' शब्द से प्रतिस्थापित होगा एवं संख्यात्मक अंक '1-45' अंक '1.45' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
22. धारा 9 की उप-धारा (1) में "बशर्ते कि व्यक्ति संयुक्त परिवार से हो, ऐसे परिवार का प्रत्येक वयस्क पुरुष सदस्य प्रक्रिया हेतु योग्य होगा :-" शब्द हटा दिए जाएंगे ।
23. धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (i) में, 'possesn' शब्द 'possess' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।
24. धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ii) में, 'family, so' शब्द के बाद आया 'such' शब्द 'much' शब्द से एवं 'posses', शब्द 'possess' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
25. धारा 9 की उप-धारा (2) में, 'farming society' शब्द 'family' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।
26. धारा 9 की उप-धारा (3) में, 'possessed' शब्द 'possess' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।
27. धारा 9 में उपधारा (5) हटा दी जाएगी।
28. धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक में, "quit" शब्द "writ" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा; "बशर्ते कि ऑर्गनाइजैको एग्रोरिया के आर्टिकल 27 के तहत भूमि के किसी भी हस्तांतरण को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा:" और "आगे" शब्दों को हटा दिया जाएगा।:"
29. धारा 10 की उपधारा (2) में, "दूसरा" शब्द हटा दिया जाएगा और शब्द "tahe" को "that" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
30. धारा 11 की उपधारा (3) में, "पंजीकृत जब तक कि एक घोषणा" शब्दों के बाद "में" शब्द जोड़ा जाएगा ।
31. प्रधान विनियम के अध्याय IV में, "मुआवजा और अधिभोग अधिकार" शीर्षक के बजाय "मुआवजा" के रूप में पढ़ा जाएगा।